न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —177/2019

अनवान : —

1. कृष्णकुमार पुत्र बनवारीलाल जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।

— वादी

ब ना म

1. बनवारीलाल पुत्र अमीचंद जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. मोहनलाल खाती पुत्र बनवारीलाल जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. मन्जु पुत्री बनवारीलाल जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. कविता पुत्री बनवारीलाल जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री मुंशीराम गोस्वामी वकील **वादी**
श्री सुरजीत बिजारिणयां वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 12/03/2020

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 8 एनटीआर के खाता सं0 94/90 के मु0 न0 8 किला न0 2 ता 7 कुल 1.518है0 बारानी मय रास्ता इसी प्रकार चक 10 एनटीआर के खाता सं0 88/71 के मु0 न0 14 किला न0 11 ता 13, 18 ता 20, 22 व 23 मु0 न0 25 किला न0 2, 3, 8, 9, 11 ता 13, 18 ता 23, मु0 न0 26 किला न0 1 कुल 5.566है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा अमीचंद की खातेदारी हुआ करती थी। अमीचंद के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी बनवारीलाल कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी बनवारीलाल अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एवं वादी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी कृष्णकुमार पुत्र

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बनवारीलाल जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा के साक्षय करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी चक 4 एसडीआर खाता सं0 24/25 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 8एनटीआर संवत 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 10 एनटीआर संवत 2076–79 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नेठराना प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 8 एनटीआर के खाता सं0 94/90 के मु0 न0 8 किला न0 2 ता 7 कुल 1.518है0 बारानी मय रास्ता इसी प्रकार चक 10 एनटीआर के खाता सं0 88/71 के मु0 न0 14 किला न0 11 ता 13, 18 ता 20, 22 व 23 मु0 न0 25 किला न0 2, 3, 8, 9, 11 ता 13, 18 ता 23, मु0 न0 26 किला न0 1 कुल 5.566है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम खातेदारी दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये अपना राजीनामा पेश कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 8 एनटीआर के खाता सं0 94/90 के मु0 न0 8 किला न0 2 ता 7 कुल 1.518है0 बारानी मय रास्ता इसी प्रकार चक 10 एनटीआर के खाता सं0 88/71 के मु0 न0 14 किला न0 11 ता 13, 18 ता 20, 22 व 23 मु0 न0 25 किला न0 2, 3, 8, 9, 11 ता 13, 18 ता 23, मु0 न0 26 किला न0 1 कुल 5.566है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से दर्ज है। उसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –177/2019

अनवान : –

1. कृष्णकुमार पुत्र बनवारीलाल जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।

– वादी

ब ना म

1. बनवारीलाल पुत्र अमीचंद जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. मोहनलाल खाती पुत्र बनवारीलाल जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. मन्जु पुत्री बनवारीलाल जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. कविता पुत्री बनवारीलाल जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण सुरजीत बिजारणियां की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 8 एनटीआर के खाता सं0 94/90 के मु0 न0 8 किला न0 2 ता 7 कुल 1.518है0 बारानी मय रास्ता इसी प्रकार चक 10 एनटीआर के खाता सं0 88/71 के मु0 न0 14 किला न0 11 ता 13, 18 ता 20, 22 व 23 मु0 न0 25 किला न0 2, 3, 8, 9, 11 ता 13, 18 ता 23, मु0 न0 26 किला न0 1 कुल 5.566है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से दर्ज है। उसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ